न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 428/2020 उनवान आम जनता गोली बनाम रामा

आम जनता गोली जरिये कालूराम पुत्र स्व. रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम गोली तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य **–प्रार्थीगण**

बनाम

रामा पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम गोली, तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।
– अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955</u>

निर्णय दिनांक 28.06.2024

उपस्थितः– वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने पेश किया जिसे दिनांक 16.12.2020 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 22.12.2024 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित हुआ तथा जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 23.01.2024 तक भी जवाब पेश नही करने से दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। संक्षेप में प्रकरण का सार इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने जाहिर किया कि ग्राम गोली पटवार हल्का गेहलपुर तहसील अरांई में स्थित भूमि खसरा संख्या 291 रकबा 29.7227 हैक्टैयर स्थित है जिसमें नदी स्थित है जिसके पानी का उपयोग उपभोग समस्त ग्रामवासी निवासी गोली करते आ रहें है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 से 04 उक्त भूमि पर अतिचार अतिक्रमण कर बोरिंग करने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.11.2020 को मौका पर्चा तैयार किया गया था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम गोली पटवार हल्का गेहलपुर तहसील अरांई स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 01 के खसरा संख्या 291 रकबा 29.7227 हैक्टैयर किस्म गै0मु0नदी भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार से कोई अतिचार अतिक्रमण नहीं करें एवं ट्यूबवैल /कु[illegible] नहीं खोदे।
2. दिनांक 07.06.2024 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों [illegible]राया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध [illegible]वेजों

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:03:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 01 की खसरा संख्या 291 किस्म गै.मु.नदी है जो कि अब्दुल रहमान प्रकरण एवं धारा 16 राज0का0अधि0 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है, नदी में किसी प्रकार के अतिक्रमण/निर्माण/जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित करने पर पूर्णतः रोक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0का0अधि0 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोली पटवार हल्का गेहलपुर तहसील अरांई स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 01 के खसरा संख्या 291 रकबा 29.7227 हैक्टैयर किस्म गै0मु0नदी भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार से कोई अतिचार अतिक्रमण नहीं करें एवं ट्यूबवैल /कुंआ/बोरिंग नहीं खोदे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:03:30 IST
Reason: SelfAttested